SJU Govt. Registered Social Justice Union

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 10 सितंबर 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 344

महत्वपूर्ण एवं खास

पारिवारिक विवाद के कारण मां ने चार बच्चो के साथ कुंआ में छलांग लगाई, तीन बच्चो की मौत

गोमिया (आरएनएस)। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के बडक़ी सिधाबारा पंचायत अंतर्गत मुरपा गांव में पति के साथ हुए विवाद के बाद पत्नी ने अपने चार बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी।घटना में तीनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां और एक बड़ी बेटी को ग्रामीणों ने बचा लिया गया। मृतक बच्चों में बेटा सचिन कुमार 2 वर्ष, अंकिता कुमारी 3 वर्ष और पीहु कुमारी 8 वर्ष शामिल है। पुलिस ने तीनों बच्चों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इस संबंध में चतरोचट्टी थाना प्रभारी दीपक कुमार राणा ने बताया कि रंजीत गंझू की पत्नी कलावती देवी उम्र लगभग 34 वर्ष ने अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद गई , घटना की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी. सिधाबारा पंचायत के मुखिया रीतलाल महतो ने बताया कि शनिवार की रात को पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद कलावती अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। जानकारी मिलते ही गांव वाले मौके पर पहुंचे और सभी को कुआं से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तीन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। बड़ी बेटी और उसकी मां को बचा लिया गया। इस घटना से पूरे गांव और लोगों में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने घटना की निंदा की है. खबर लिखें जाने तक पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई थी।

भारत में मिला एमपॉक्स का पहला संदिग्ध केस, मरीज किया गया आइसोलेट; स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में एमपॉक्स (मंकीपॉक्स) का पहला संदिग्ध मामला रिपोर्ट हुआ है। संदिग्ध मरीज एक युवक है, जिसने हाल ही में ऐसे देश की यात्रा की थी जहाँ एमपॉक्स के मामले सामने आए हैं। युवक को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और उसे आइसोलेशन में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि युवक की हालत स्थिर है और उसके एमपॉक्स से संक्रमित होने की पुष्टि के लिए सैंपल लिया गया है। इस सैंपल की जांच की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में किसी भी अनावश्यक चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है और देश इस तरह के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत ने यात्रा संबंधी मामलों के प्रबंधन और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत उपाय किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 12 अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स प्रकोप को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किए जाने के तीन सप्ताह बाद भारत में यह संदिग्ध मामला सामने आया है। अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र और डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को एमपॉक्स प्रकोप के लिए एक योजना की शुरुआत की। अफ्रीका ष्टष्ठष्ट के महानिदेशक डॉ. जीन कासेया ने बताया कि लगभग 600 मिलियन डॉलर की बजट वाली छह महीने की इस योजना में निगरानी, प्रयोगशाला परीक्षण और सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बीच, कांगो को गुरुवार को जायनिओस वैक्सीन की 100,000 खुराकों का पहला बैच मिला, जिसे यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ की स्वास्थ्य आपातकालीन एजेंसी हेरा के माध्यम से डोनेट किया है। यह वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और जनसंख्या की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

भारतीय कंपनियों के इजरायल को हथियार निर्यात में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली | आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें गाजा के साथ चल रहे संघर्ष के बीच इजरायल को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों के निर्यात के लिए विभिन्न भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने और नये लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान के अनुसार रक्षा और विदेश मामलों का संचालन करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के पास है। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 162 के अलावा संविधान के अनुच्छेद 253 के प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि संसद के पास किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सम्मेलन या संधि को लागू करने के लिए पूरे भारत संघ या उसके हिस्से के संबंध में कोई भी कानून बनाने की शक्ति है।

पीठ ने कहा, हम सरकार से यह नहीं कह सकते कि आप किसी देश को निर्यात नहीं करेंगे या आप किसी विशेष कंपनी को सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली सभी कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर देंगे। यह राष्ट्रीय नीति का मामला है।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि याचिका में मांगी गई निषेधाज्ञा राहत से अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों और समझौतों का उल्लंघन होगा। उसने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों का उद्देश्य केंद्र सरकार या किसी संप्रभु राष्ट्र द्वारा विदेश नीति के संचालन पर कोई राय देना नहीं है।

जनहित याचिका में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के एक हालिया फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन के लिए इजरायल के खिलाफ अनंतिम उपायों का आदेश दिया गया था।

याचिका में कहा गया है, भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों से बंधा हुआ है, जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी राष्ट्रों को सैन्य हथियारों की आपूर्ति नहीं करने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि किसी भी निर्यात का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन में किया जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि भारत को तुरंत इजरायल को दी जाने वाली अपनी सहायता रोक देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इजरायल को पहले से ही दिए गए हथियारों का इस्तेमाल नरसंहार करने, नरसंहार के कृत्यों में योगदान देने या ऐसे कार्यों में न किया जाए।

भारतीय सेना के सामने थर्राएंगे दुश्मन
सुखोई विमानों के इंजन सौदे पर सरकार की मुहर; 26 करोड़ में हुई डील

नई दिल्ली | आरएनएस

देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई-30 विमानों के लिए 240 एएल-31 एफपी एयरो इंजन की खरीद के लिए 26,000 करोड़ रुपये की डील पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार सोमवार को रक्षा मंत्रालय और सीनियर अधिकारियों के बीच सम्पन्न हुआ, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी भी मौजूद थे।

इस करार के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 30 एयरो इंजन की आपूर्ति करेगा, और सभी 240 इंजनों की सप्लाई अगले 8 वर्षों में पूरी की जाएगी। इन इंजनों का निर्माण कोरापुट डिवीजन में किया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक, इन एयरो इंजनों में 54 प्रतिशत से अधिक सामग्री स्वदेशी होगी, जो एयरो-इंजन के प्रमुख घटकों के स्वदेशीकरण के कारण संभव हो पाया है।

सुखोई-30 मार्क 1 भारतीय वायुसेना के सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बेड़े में शामिल है। नए एयरो इंजन भारतीय वायुसेना के इस बेड़े की संचालन क्षमता को बनाए रखने में मदद करेंगे और इसके निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करेंगे। इस महत्वपूर्ण डील से देश की रक्षा तैयारियों को और भी मजबूती मिलेगी।

सूरत में गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में पथराव, जमकर तोड़फोड़ और हंगामा; 6 मुख्य आरोपियों समेत 33 गिरफ्तार

सूरत | आरएनएस

गुजरात के सूरत शहर के सैयदपुरा इलाके में गणेश पूजा पंडाल पर पथराव की घटना सामने आई है। इस घटना में शामिल 6 मुख्य आरोपियों सहित कुल 33 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गणेश पूजा पंडाल पर पथराव के बाद इलाके में झड़प हो गई। स्थानीय लोगों की गुस्साई भीड़ ने जमकर तोडफ़ोड़ और हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, सैयदपुरा इलाके में 6 लोगों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस घटना को बढ़ावा देने वाले 27 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है।

सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि कुछ बच्चों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया था, जिससे झड़पें भडक़ीं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों को वहां से हटा दिया और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। आंसू गैस और लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया गया।

पुलिस कमिश्नर ने पुष्टि की कि इलाके में लगभग 1,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और सामान्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शांति भंग करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंकीपॉक्स को लेकर सरकार ने सभी राज्यों को की जारी एडवायजरी

❑ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी सलाह

नई दिल्ली | आरएनएस

भारत में मंकी पाक्स की एंट्री हो चुकी है। इससे संक्रमित एक मरीज के सामने आने के बाद उसे आइसोलेट कर दिया गया है। जिसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है।

खबर है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने संदिग्धों की स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हिदायत दी है। खास बात है कि ड्ख॥ह यानि विश्व स्वास्थ्य संगठन मंकी पॉक्स को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। इस बीमारी से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें वायरल इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग में तेजी और हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है। हालांकि, अधिकारियों ने चिंता नहीं करने की बात कही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने कहा, 'यात्रा संबंधी आइसोलेशन मामलों से निपटने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है।'स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकीपॉक्स के संदिग्ध केस की जानकारी दी थी।

जानकारी के अनुसार शख्स विदेश से भारत लौटा था। सरकार ने बताया था कि मरीज को अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है और उसकी हालत स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया था कि मरीज के नमूनों की जांच की जा रही है, ताकि रूश्चश& की मौजूदगी की पुष्टि हो सके। मंत्रालय ने कहा,'मामले को स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबंधित किया जा रहा है, और संभावित स्रोतों की पहचान करने तथा देश के भीतर के प्रभाव का आंकलन करने के लिए संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाना जारी है।'सरकार ने कहा कि यह राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा किए गए पहले के जोखिम मूल्यांकन के अनुरूप है और किसी भी अनावश्यक चिंता का कोई कारण नहीं है। पिछले महीने दूसरी बार मंकीपॉक्स को अंतरराष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) के रूप में घोषित किया था, क्योंकि यह अफ्रीका के कई हिस्सों में फैल चुका है। डब्ल्यूएचओ द्वारा 2022 में पीएचईआईसी घोषित किए जाने के बाद से भारत में इस बीमारी के 30 मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमित आखिरी मामला इस साल मार्च में सामने आया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले के बयान के अनुसार, 2022 से अब तक 116 देशों में 99,176 मंकीपॉक्स के मामले सामने आये हैं जिनमें से 208 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल संक्रमितों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी।

दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध

नई दिल्ली | आरएनएस

दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु प्रदूषण बढऩे की आशंका के मद्देनजर सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश सोमवार को दिल्ली सरकार ने जारी किया। पिछले साल भी सर्दियों में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया, हम दिल्लीवासियों से यही कहना चाहते हैं कि दीए जलाकर और मिठाई बांटकर त्योहार मनाएं। हमें त्योहार को धूमधाम से मनाना है। लेकिन, उतनी ही जिम्मेदारी से प्रदूषण पर भी लगाम लगानी है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध लागू करवाने के लिए पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्ययोजना बनाई जाएगी।

गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण बढऩे का खतरा रहता है। इस मौसम में पटाखों को जलाने से भी प्रदूषण बढ़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को प्रदूषण की मार से बचाया जा सके। किसी भी तरह के पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी या बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पटाखों को लेकर लोगों में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए यह प्रतिबंध हर तरह के पटाखों के लिए मान्य है।

इसके साथ ही गोपाल राय का यह भी कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि व्यापारियों और डीलरों को किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान हो। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए समय रहते हर प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान बना रही है। आगामी दिनों में विंटर एक्शन प्लान के अनुसार विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। ऐसे में हमारी दिल्ली निवासियों से अपील है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के साथ सहभागिता दें। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम सभी को मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि दिल्ली का हर नागरिक एक प्रदूषण योद्धा बनकर पर्यावरण को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लेगा तो प्रदूषण के कारण लोगों की सांसों पर जो संकट आता है, उससे हम उन्हें बचा सकेंगे।

जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में दो आतंकी ढेर, घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एके-47 सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद

श्रीनगर | आरएनएस

जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में एलओसी पर सतर्क सेना के जवानों ने आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। जवानों ने घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से दो एके-47, एक पिस्तौल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया।

सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में खुफिया एजेंसियों और पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर 8 और 9 सितंबर की रात को लाम सेक्टर में घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया गया है। उनके पास से अब तक दो एके-47 और एक पिस्तौल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद की गई है।

सेना के अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ के बाद जवानों ने इलाके में रोशनी की और पूरी रात कड़ी निगरानी रखी। सुबह होते ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट पर हैं।

एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत, घर लौटते समय भीषण हादसे का हुए शिकार

रामनाथपुरम | आरएनएस

तमिलनाडु में मदुरै-रामेश्वरम राजमार्ग पर तडक़े एक कार सडक़ किनारे खड़ी राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) बस से टकरा गई जिससे सवार एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना तब हुयी जब कार यहां मदुरै-रामेश्वरम राजमार्ग पर उचिपुली के पास पीरप्पनवलसाई गांव में एक कार टीएनएसटीसी बस से टकरा गयी।

पुलिस ने कहा कि घटना में पीड़ित की पहचान सेंथिल मनोहरन (70), उनकी पत्नी अंगला ईश्वरी (60), उनके दामाद राजेश (33) और उनकी बेटी पंडी सेल्वी (28), और उनकी नातिन दर्शिला रानी (8), प्रणविका (4) और एक नवजात शिशु रामनाथपुरम के रूप में हुई है। परिवार के सभी सदस्य के एक निजी अस्पताल में बच्चे की बीमारी का इलाज करने के बाद किराए की कार से रामेश्वरम के थंगाचिमादम गांव लौट रहे थे।

पुलिस ने कहा , सेंथिल मनोहरन, अंगला ईश्वरी (58), राजेश (33), दर्शिला रानी और प्रणविका की मौके पर ही मौत हो गई, गंभीर रूप से घायल पांडी सेल्वी, बच्चे और ड्राइवर ब्रिटो (34) को क्षतिग्रस्त कार से बचाया गया और रामनाथपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि टीएनएसटीसी बस जो तिरुपथुर से रामेश्वरम जा रही थी, के चालक ने यात्रियों में से एक को उल्टी की शिकायत के बाद पीरप्पनवलसाई में सडक़ के किनारे बस को रोक दिया था। उचिपुली पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे सीबीआई
कोलकाता केस में सुप्रीमकोर्ट ने दिया एक हफ्ते का समय, मंगलवार को अगली सुनवाई

नई दिल्ली | आरएनएस

कोलकाता के मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पताल में हुई तोडफ़ोड़ के मामले में कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। वहीं, सीबीआई ने मामले में अभी तक की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट की समीक्षा की।

बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि हमने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट पेश की है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 23 लोगों की मौत हुई है। वहीं, सीबीआई की ओर से मामले में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है हमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल जवाब की कॉपी नही मिली है।

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि हमने जवाब की कॉपी सिर्फ कोर्ट में जमा की है। हमने सीबीआई को अभी तक कॉपी नही दी है। सिब्बल ने कहा डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जब डॉक्टर अस्पताल में काम नही कर रहे थे, उस दौरान 23 लोगो की इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई। सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है। जब सुबह 9.30 बजे डेड बॉडी मिली। वह अर्द्धनग्न अवस्था में थी। शरीर पर चोट के निशान थे। ये बेहद गंभीर मामला है। उसके बाद सीबीआई ने तय किया कि घटनास्थल और शव से मिले सैंपल एम्स भेजे जाएं। ऐसे में सैंपल किसने लिए हैं, कैसे लिए हैं। ये जानना जरूरी हो जाता है।

इस मामले पर पेश स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि प्रिंसिपल का घर अस्पताल से कितनी दूर था इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनका घर अस्पताल से कम से कम 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। सीजेआई ने पूछा कि अप्राकृतिक मौत का वक्त क्या था अप्राकृतिक मौत की एंट्री कब हुई इस पर सिब्बल ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र 1.47 बजे पर मिला। रात 2.55 बजे अप्राकृतिक मौत को लेकर एंट्री दर्ज हुई. कोर्ट ने कहा कि फिर इतना समय क्यों लगा

सीजेआई ने पूछा कि तलाशी और बरामदगी कब हुई इस पर सिब्बल ने कहा कि रात 8.30 बजे बरामदगी हुई। जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई तब से प्रक्रिया शुरू हुई। उससे पहले वहां की फोटोग्राफी का काम पूरा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कोलकाता पुलिस ने 8:30 से 10:45 तक की पूरी फुटेज सीबीआई को सौंप दी है इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हां हमें मिल गई है। कुल चार क्लिपिंग्स हैं। ये क्लिपिंग 27 मिनट की अवधि की हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पूछा की स्नढ्ढक्र कब दर्ज हुई है। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि दोपहर 2.55 बजे स्नढ्ढक्र दर्ज हुई जबकि डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1.47 बजे दिया गया। सीजेआई ने कहा कि हमें अप्राकृतिक मौत के मामले में स्पष्टीकरण चाहिए। इस मामले में अब कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए एक हफ्ते का वक्त और दिया है।